



कॉनफिलक्ट आफ इनटरेस्ट पॉलिसी

लोकमित्र एक सामाजिक संस्था है और सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है। इस संबंध में संस्था के कार्यकर्ता और संस्था के प्रबंधकारिणी के सदस्य कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उन्होंने अपने पारिवारिक या अन्य संबंधों के कारण किसी विशेष व्यक्ति को अनुपयुक्त तरीके से किसी भी तरह से लाभान्वित नहीं किया हो। इस लिए यह कॉनफिलक्ट आफ इनटरेस्ट पॉलिसी अपनायी जा रही है।

इसके तहत निम्न बातें प्रतिबंधित हैं –

1. संस्था के मुख्य कार्यकारी, निदेशक, कार्यक्रम निदेशक, सहायक निदेशक, कार्यक्रम प्रबंधक, प्रोजेक्ट समन्वयक संस्था/कार्यक्रम में ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जोड़ेंगे जोकि उनके रिश्ते में हों या घनिष्ठ दोस्त रहे हों। यदि ऐसा करना पड़े तो एसी जरूरी होने के कारणों को इंगित करते हुए मुख्य कार्यकारी की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। साल के अन्त में वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट में इसे इंगित किया जायेगा।
2. परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे की उनकी परियोजना में पार्ट-टाईम कार्यकर्ता या वोलंटियर के रूप में कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार या दोस्तों की नियुक्ति नहीं होगा।
3. संस्था के स्टॉफ/कार्यकर्ता कार्यक्रम व संस्थागत समान की खरीदारी अपने रिश्तेदार या अपने स्वयं की दुकान से नहीं करेंगे। उन्हें अपने रिश्तेदार या अपने परिवार को संस्था से लाभ नहीं पहुंचाना होगा। अगर किसी खास परिस्थिति में रिश्तेदार या अपने परिवार के द्वारा ही कार्य कराना पड़े तो स्वीकृत पूर्व में ही मुख्यकार्यकारी से लिखित रूप में लेना होगा।
4. यदि वर्तमान में किसी कॉनफिलक्ट आफ इनटरेस्ट की संभावना है, रिश्ते में या संबंधित हैं तो कार्यकर्ता, सलाहकार व वोलंटियर को नियुक्त करने या वित्तीय लेनदेन करने के पहले मुख्यकार्यकारी को अवगत कराका अनुमति लेना होगा।

अनुमोदन में प्रबंधकारिणी सदस्यों का हस्ताक्षर

Rubey

Rajiv Kumar

Rajiv Kumar

Rajiv Kumar

राजेश कुमार, मुख्यकार्यकारी